जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

24/16

A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 24/2016 अनवानी 1–श्री रामकरण पुत्र श्री मनफूल राम जाति कुम्हार नि0 हाकमाबाद तहसील सादुलशहर 2–कृष्णलाल पुत्र मनफूलराम निवासी हाकमाबाद तह0 सादुलशहर बनाम 1–श्री रामलाल पुत्र सुखराम जाति कुम्हार नि0 हाकमाबाद तह0 सादुलशहर 2–गौरांदेवी पुत्री सुखराम 3–रामप्यारी पुत्री सुखराम 4–दलीपकमार पुत्र मानाराम 5– ठाकरराम पुत्र मानाराम जाति कुम्हार निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.11.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री राजाराम बिश्नोई उपस्थित है। अप्रार्थी रामलाल–दलीपकुमार–ठाकरराम के अभिभाषक श्री राजवीर सिंह व अप्रार्थीया रामप्यारी के अभिभाषक श्री पृथ्वीराज उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषकगण श्री राजवीर सिंह व श्री पृथ्वीराज शर्मा का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर में लम्बित प्रकरण संख्या 09/2015 अनवानी रामकरण आदि बनाम रामलाल आदि धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर में लम्बित प्रकरण संख्या 09/2015 अनवानी रामकरण आदि बनाम रामलाल आदि धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 16.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर